पत्रांक–सं0सं0–02/उ0नि0ब्रास/ब्रान्ज यूटन्सिल क्लस्टर–24–10/2014.......

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
उद्योग मित्र, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री रामराय औद्योगिक स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0, रामराय सिघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली को द्वितीय किस्त के रूप में रू0 163.64 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख चौसठ हजार रूपए मात्र) के अनुदान की राशि के भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत ब्रास–ब्रान्ज यूटेन्सिल क्लस्टर, रामराय सिघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली के प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रू0 454.55 लाख के विरूद्ध 90 प्रतिशत की दर से अनुमान्य अनुदान रू0 409.10 लाख की राशि के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक–1010 दिनांक–14.03.18 के द्वारा सर्वश्री रामराय औद्योगिक स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0, रामराय सिघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली को 10 प्रतिशत की दर से प्रथम किस्त के रूप में रू0 40.91 लाख (चालीस लाख इक्यान्वे हजार रूपए मात्र) उपलब्ध कराया गया था। उक्त क्रम में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक–03.06.19 की कार्रवाई ज्ञापांक–2185, दिनांक–10.06.2019 के द्वारा द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में अनुमान्य अनुदान रू0 409.10 लाख का 40 प्रतिशत की दर से **द्वितीय किस्त के रूप में रू0 163.64 लाख (एक करोड़ तीरसठ लाख चौसठ हजार रूपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

2. राशि का व्यय स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार नहीं रहने तथा किसी प्रकार का विचलन किए जाने पर SPV को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का नियमित अनुश्रवण करेंगे कि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं? साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं? प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएँगे।

4. उक्त क्लस्टर के पी0 एम0 ए0 मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल0एल0पी0 उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त कराए जा रहे कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेंगे ताकि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। साथ ही वे उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ–2

5. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-1254, दिनांक-24.03.2018 एवं राज्यादेश संख्या-02, दिनांक-01.01.2019 के द्वारा स्वीकृत एवं उद्योग मित्र, बिहार, पटना के पी0एल0 खाता सं0-277 में रक्षित राशि से की जाएगी।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

7. चूकि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनातर्गत उपलब्ध राशि उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता में रक्षित है, जिसकी निकासी पारित मूल अभिश्रव के विरूद्ध किए जाने का प्रावधान है, अतः क्लस्टर के एस0पी0भी0 द्वारा कराए गए भवन निर्माण कार्य अथवा क्रय किए गए मशिनरी के पारित मूल अभिश्रव महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के माध्यम से उपलबध कराने पर उद्योग मित्र के द्वारा राशि का भुगतान किया जाएगा।

8. इस राशि का भुगतान **सर्वश्री रामराय अैद्योगिक स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0, रामराय सिघाड़ा, महुआ, जिला-वैशाली** को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-..............   पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचंद पटेलपथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.2384.....   पटना, दिनांक.21.6.19........

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, रामचरित्र सिंह पथ, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में/ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना /संयुक्त उद्योग निदेशक(बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **सर्वश्री रामराय अैद्योगिक स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0, रामराय सिघाड़ा, महुआ, जिला-वैशाली** / मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल0एल0पी0, गुड़गॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

Diwakar-02